### उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

# **U.P.Power Corporation Limited**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्याः 4-विनियम एवं औ०सं० / पाकालि / 11-5-विनियम / 88

दिनांकः 29 जनवरी, 2011

## कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.01.2011 को सम्पन्न हुई 85 वीं बैठक में उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली—1970 के भाग—111, भर्ती का स्रोत, विनियम—5(3) में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—88—विनियम एवं औस/पाकालि/10—5 रेग्यू/88 दिनांक 05.08.2010 सपिटत कार्यालय ज्ञाप संख्या—93—विनियम एवं औस/पाकालि/10—5 रेग्यू/88 दिनांक 09.08.2010 के निम्न अंकित स्तम्भ—1 के वर्तमान विनियम को आंशिक रूप से संशोधित कर स्तम्भ—2 में अंकित विनियम से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है :—

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

#### विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत वर्तमान विनियम

5(3) "Notwithstanding anything contained in these Regulations the Board may make appointments to the service, in relaxation of these Regulations, from among employees of Electricity Undertakings or organizations which have been taken over or which may, in future, be taken over by the Board or five Assistant Engineers per year may be selected from the Top five merit position holders, in chronological order applying for the said post from such other Institutes/Colleges in which admission are made through IIT-JEE/ALL India Engineering Entrance Examination (AIEEE) Government Colleges recognized by UP Technical University, UP or such other Institutes as the Board may decide from time to time on such terms and condition as may be decided by the Board"

#### विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत प्रतिस्थापित विनियम

5(3) Notwithstanding anything contained in these Regulations the Board may make appointments to the service, in relaxation of these Regulations, from among employees of Electricity Undertakings or organizations which have been taken over or which may, in future, be taken over by the Board or required number of Engineers per year may be selected from the Top five merit position holders, chronological order applying for the said post from such Government Colleges recognized by UP Technical University, UP on such terms and conditions as may be decided by the Board. As such only 15 % vacant posts in a selection year will be filled from merit holders. In making such appointments reservation policy will be strictly followed.

- 2. उपरोक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।
- 3. संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथा संशोधित लागू रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः ४ (1)विनियम एवं औ०सं० / पाकालि / 11—तद्दिनांकः <sup>2</sup>न / 1/ 1) प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।

2- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

£04030

- 3— संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 5— समस्त निदेशकगण, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6— प्रबन्ध् निदेशक, पूर्वान्वल / मध्यांचल / पष्टियमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 7- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ | 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड |
- 9— अपर सचिव—प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अराजपत्रित / महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / सलाहकार(औस / काविनी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 10— कम्पनी सचिव, उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 85 वीं बैठक दिनांक 08.01.2011 में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
- 11— अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किए

12- पत्रावली संख्या-11-विनियम/88/कट फाइल।

( जावेद अहमद )२८ | । | ।) अनुसचिव (विनियम)